



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-11072026-274395
CG-KA-E-11072026-274395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3558]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2026/आषाढ 18, 1948

No. 3558]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 8 जुलाई, 2026

का.आ. 3720(अ).—जब कि केंद्र सरकार (रेलवे मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) की अधिसूचना एस. ओ. 5706, दिनांक 05/12/2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे यहाँ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2, खंड 20ए के तहत जारी की गई, रेलवे मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी ने कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में श्रीरंगपट्टना-पांडवपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच कि.मी: 121/600-700 पर समपार फाटक सं.97 के स्थान पर नई आरओबी के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि के अधिग्रहण का अपना इरादा घोषित किया है।

जबकि उक्त अधिसूचना का सार "प्रजावाणी और विजयकर्नाटक" में दिनांक 23/12/2026 को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ए के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। और जबकि सक्षम प्राधिकारी ने धारा 2, खंड 20डी के अंतर्गत दायर आपत्तियों को प्राप्त किया है, उन पर विचार किया गया है और उनका उचित निपटारा किया गया है।

जबकि, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को उपरोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया जाना चाहिए;

और इसके अलावा, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा घोषित करता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में श्रीरंगपट्टना -पांडवपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच किलोमीटर: 121/600-700 पर समपार फाटक सं. 97 के स्थान पर नई आरओबी का निर्माण।

जिला: मांड्या	तालुक: श्रीरंगपट्टना
होबली: के. शेटी हल्ली -01	गांव: किरंगुरु

एस. एन.	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की सीमा (ए-जी)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितधारक व्यक्ति का नाम
1	784/1	आर्द्रभूमि	कृषि	0-05 1/4	0.0531	एस. टी. सुधा, जी. नागराजू की पत्नी
2	784/2	आर्द्रभूमि	कृषि	0-00 1/4	0.0025	भाग्यम्मा, गंगाधर की पत्नी
3	784/3	आर्द्रभूमि	कृषि	0-00 3/4	0.0076	पी. नागराजू, स्वर्गीय पुट्टय्या के पुत्र
4	784/4	आर्द्रभूमि	कृषि	0-00 3/4	0.0076	पी. नागराजू, स्वर्गीय पुट्टय्या के पुत्र
5	784/5	आर्द्रभूमि	कृषि	0-00 1/4	0.0025	रत्ना, मेलागिरी की पत्नी
6	787/1	आर्द्रभूमि	कृषि	0-04	0.0405	रवि. एस. , श्रीनिवासा के पुत्र
7	787/2	आर्द्रभूमि	कृषि	0-11	0.1113	शिवन्ना, बसवन्ना के पुत्र
8	789/2	आर्द्रभूमि	कृषि	0-02	0.0202	लक्ष्मण, स्वर्गीय चेन्नेगौडा के पुत्र मंजूनाथ ए.एल. (संयुक्त)
9	781	आर्द्रभूमि	कृषि	0-06 1/4	0.0632	कोमला, आर कृष्णगौडा की पत्नी
10	782	आर्द्रभूमि	कृषि	0-06	0.0607	डी.के.अविनाश, आर.कृष्णगौडा के पुत्र
11	783	आर्द्रभूमि	कृषि	0-00 1/4	0.0025	डी.के.अविनाश, आर.कृष्णगौडा के पुत्र

जिला: मांड्या	तालुक: श्रीरंगपट्टना
होबली: के. शेटी हल्ली -01	गांव: रामपुरा

एस. एन.	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की सीमा (ए-जी)	क्षेत्रफल (हेक में)	हितधारक व्यक्ति का नाम
1	26/3	आर्द्रभूमि	कृषि	0-13	0.1315	श्री. सी. किरण कुमार, जे. शेखर के पुत्र
2	30/2	आर्द्रभूमि	कृषि	0-00 3/4	0.0076	चेलुवेगौड़ा, आर. सी. चेलुवेगौड़ा के पुत्र
3	46/1	आर्द्रभूमि	कृषि	0-06	0.0607	सहदेवगौड़ा, करिगौड़ा के पुत्र
4	52	सरकारी भूमि	कृषि	0-00	0.0000	खरब

अमूर्त

एस.एन.	गांव का नाम	ए-जी	क्षेत्रफल (हेक में)
1	किरंगुरु	0 ए- 36 3/4 जी	0.3718
2	रामपुरा	0 ए - 19 ¾ जी	0.1998
	कुल	1 ए- 16 ½ जी	0.5716

[फा.सं. डब्लू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 8th July, 2026

S.O. 3720(E).—Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment) S.O.5706, dated 05/12/2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for "Construction of New ROB in lieu of LC-97 between Srirangapatna-Pandavapura Railway Stations at Km: 121/600-700" in the district of Mandya in the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Prajavani and Vijayakarnataka dated: 23/12/2026; under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Construction of New ROB in lieu of LC-97 between Srirangapatna- Pandavapura Railway Stations at Km: 121/600-700 in the district of Mandya in the state of Karnataka.

DISTRICT : MANDYA				TALUK: SRIRANGAPATNA		
HOBLI: K. SHETTI HALLI - 01				VILLAGE: KIRANGURU		
SI No	Sy No	Type of Land	Nature of Land	Extent of Acquisition in (A-G)	Extent in Hectares	Beneficiary
1	784/1	Wet Land	Agriculture	0-05 1/4	0.0531	S. T. Sudha W/o G. Nagaraju
2	784/2	Wet Land	Agriculture	0-00 1/4	0.0025	Bhagyamma W/o Gangadar
3	784/3	Wet Land	Agriculture	0-00 3/4	0.0076	P. Nagaraju S/o Late. Puttayya
4	784/4	Wet Land	Agriculture	0-00 3/4	0.0076	P. Nagaraju S/o Late. Puttayya
5	784/5	Wet Land	Agriculture	0-00 1/4	0.0025	Ratna W/o Melagiri
6	787/1	Wet Land	Agriculture	0-04	0.0405	Ravi. S S/o Srinivasa
7	787/2	Wet Land	Agriculture	0-11	0.1113	Shivanna S/o Basavanna
8	789/2	Wet Land	Agriculture	0-02	0.0202	Lakshmana S/o Late. Chennegowda, Manjunath A.L. (Joint)
9	781	Wet Land	Agriculture	0-06 1/4	0.0632	Komala W/o R Krishnegowda
10	782	Wet Land	Agriculture	0-06	0.0607	D. K. Avinash S/o R.Krishnegowda
11	783	Wet Land	Agriculture	0-00 1/4	0.0025	D. K. Avinash S/o R. Krishnegowda
Total				0-36 3/4	0.3718	

DISTRICT : MANDYA	TALUK:SRIRANGAPATNA
HOBLI: K. SHETTI HALLI - 01	VILLAGE: RAMPURA

SI No	Sy No	Type of Land	Nature of Land	Extent of Acquisition in (A-G)	Extent in Ha	Beneficiary
1	26/3	Wet Land	Agriculture	0-13	0.1315	Sri. C. Kiran Kumar S/o J. Shekar
2	30/2	Wet Land	Agriculture	0-00 3/4	0.0076	Cheluvegowda S/o R. C. Cheluvegowda
3	46/1	Wet Land	Agriculture	0-06	0.0607	Sahadevagogda S/o Karigowda
4	52	Govt. Land	Agriculture	0-00	0.0000	Kharab
Total				0-19 3/4	0.1998	

ABSTRACT			
S.N	Name of the village	Extent of acquisition	
		A-G	Area in Ha.
1.	Kiranguru	0A-36 3/4	0.3718
2.	Rampura	0A-19 3/4	0.1998
Total		1A-16 1/2	0.5716

[F.No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III Construction